कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 3 (65)2021/मृ.आ./कार्मिक/प्रमुवसं–06818/ दिनांक :

समस्त वनाधिकारीगण।

विषय :– अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के संबंध में।
प्रसंग :– इस कार्यालय के पत्रांक एफ 3 (65)2021/मृ.आ./कार्मिक/प्रमुवसं/3775–3806 दिनांक 14.09. 2021, 7077–7111 दिनांक 09.03.2022।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित प्रांसगिक निर्देशों के अनुवर्तन में निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को तुरन्त राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.12.1996 के अनुसार मृतक आश्रित को अनुकंपात्मक नियुक्ति प्रदान किये जाने का प्रावधान हैं जिसमें मृतक आश्रितों को राहत प्रदान करने हेतु प्रावधानों में समय–समय पर संशोधन भी जारी किये गये हैं ।

शासन के निर्देशानुसार अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण का निस्तारण उसी प्रकार किया जाना चाहिए जिस प्रकार से पेंशन प्रकरण का निस्तारण किया जाता हैं, किन्तु विभाग के ध्यान में आया हैं कि कतिपय अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा मृतक आश्रितों को नियुक्ति के प्रस्ताव मुख्यालय भिजवाने में असाधारण विलम्ब किया जा रहा हैं, जिसके कारण ऐसी नियुक्तियों का मूल उददेश्य ही समाप्त हो जाता हैं ।

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 16.07.2021 में प्रदत्त निर्देशों की पालना में उप वन संरक्षक (अराज.प्रस्था.) प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। **संबंधित कार्यालयाध्यक्ष (कार्यालय उप वन संरक्षक/भू–संरक्षण अधिकारी/वन बन्दोबस्त अधिकारी) तथा मुख्य वन संरक्षक एवं उच्चतर कार्यालयों हेतु–उप वन संरक्षक (प्रशासन)/आहरण एवं वितरण अधिकारी (उप वन संरक्षक (प्रशासन) का पद ना होने पर) को केस प्रभारी नियुक्त किया जाता है।**

संबंधित केस प्रभारी कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 16.07.2021 में वर्णित दायित्वों को गंभीरता पूर्वक निर्वहन करते हुए कार्मिक की मृत्यु उपरान्त तत्काल पात्र आश्रित से आवेदन प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर ही कार्यवाही कर अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रकरण का परीक्षण नियमान्तर्गत जांच सूची के अनुसार करेंगे तथा प्रकरण को स्पष्ट अभिशंषा सहित उचित माध्यम से मुख्यालय भिजवायें जाने की सुनिश्चितता करेंगे। मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने संबंधी प्रकरणों के समय पर निस्तारण न होने एवं अनावश्यक लंबित रहने पर समस्त उत्तरदायित्व केस प्रभारी का होगा।

भविष्य में बिना परीक्षण अथवा प्रकरण भिजवाने में अनावश्यक विलम्ब अथवा मृतक आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान किए जाने में अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : – परिपत्र दिनांक 16.07.2021

भवदीय,

(अरिजीत बनर्जी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 3 (65)2021/मृ.आ./कार्मिक/प्रमुवसं/ दिनांक :
प्रतिलिपि उप वन संरक्षक सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।

(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (अराजपत्रित)
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
6353534

Document certified by ARIJIT BANERJEE <ariban@gmail.com>.

Digitally Signed by ARIJIT BANERJEE
Designation : Principal Chief Conservator Of Forest
Date :19-07-2024 07:34:14